

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/7/25 - पत्रावली पेश हुई वकील पञ्चकारान्
उप। स्वयं आदेश की अवधि
आगामी पेशी तक बढ़ा जाकर
मिलन वाले बहल हुए पत्रावली
दिनांक 18/8/2025 को पेश हो।

18/8/25 - पत्रावली पेश हुई वकील पञ्चकारान्
उप। स्वयं आदेश की अवधि आगामी
पेशी तक बढ़ा जाकर मिलन वाले
बहल हुए पत्रावली दिनांक 14/10/25
को पेश हो।

14.10.25 - पत्रावली पेश हुई वकील पञ्चकारान् उप।
बहल उमयपञ्चकारान् चुनी गई।
मिलन वाले आदेश में पत्रावली
दिनांक 11/11/2025 को पेश हो।
पुनः उपपक्ष बहल चुनी गई। प्रार्थना से
आदिपक्ष ने बहल में सुधार दिया कि प्रार्थना
विवादित शर्त में 2/3 हिस्से ही अधिलेखित बहल
है। तथा बहल का नित्यारण तब
विवादित शर्त में प्रस्तावित बनाकर रखना
आवश्यक है। इस दौरान सम्पर्क से छुट्टे-छुट्टे होने
से प्रार्थना से उपरिष्ठित कार्य होगी। अतः
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो जाये। उपपक्ष
आदिपक्ष ने तर्क दिया कि हिस्सेदार बहल
से विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं
की जा सकती। उपपक्ष बहल पर भरोसा
दिया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से
स्पष्ट है कि उपपक्ष लक्ष्मणदेव है।
अतः प्रार्थना द्वारा मागना प्रार्थना से पक्ष में है।

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------

विभाजन के दावे के सम्पादन के बन्धन,
 बान, रक्षण रूपान्तरण से प्राप्ति के अपील
 जारी हो सकती है। तथा वादियों का
 दावा लागू होना उद्देश्य नहीं है।
 हो सकता है। (वेचन से विभिन्न पक्षकारों
 के जुड़ने से अनापश्यत खिलाने व
 जाचिलता उत्पन्न होने की संभावना होगी
 अतः सुविधा संतुलन प्राप्ति के पक्ष में
 है। अतः अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा
 जारी नहीं की गई है। प्राप्ति के अस्तित्व
 अधिक होगी। इस प्रकार प्रथम इलाका
 मामला प्राप्ति के पक्ष में होने, अस्तित्व
 दावे अस्तित्व होने तथा सुविधा संतुलन
 प्राप्ति के पक्ष में होने के कारण प्र. प्र.
 प्राप्ति बाबर अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत
 किया जाता है तथा दिनांक 17/5/2012
 को जारी अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा
 मूल वाद के अन्तर्गत निर्णय तक
 पुल ही जारी है। पनावली केसल
 अन्तर्गत दोस्त दाखिल दफ्तर है
 तथा नया से उम है। फिलहाल
 सब इजलास के सुनाया गया।

